न्यायालयः—उपखण्ड अधिकारी, सलूम्बर जिला— सलूम्बर (राज.)

बजरिये श्री पर्वत सिंह चूण्डावत आर.ए.एस
प्रकरण संख्या—13/2024 प्रा.प.
उनवान

1. श्रीमती देवली पत्नी श्री भीमा मीणा, आयु बालिग, निवासी जोधपुर उंचीमगरी, तहसील झल्लारा जिला सलूम्बर (राज.)।

—प्रार्थीया

बनाम

1. भूमिधारी तहसीलदार सलूम्बर जिला सलूम्बर (राज.)।

—विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा—136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम

—::निर्णय::—

दिनांक : 25/09/24

उपस्थितिः श्री सोहनलाल चौधरी – अधिवक्ता प्रार्थीया
पैरोकार सरकार तहसीलदार सलूम्बर उपस्थित।

प्रार्थीया ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम का पेश कर अंकित किया कि यह कि प्रार्थीया की कृषि भूमि मौजा ग्राम डूंगावतफला, पटवार मण्डल डाल, तहसील सलूम्बर जिला उदयपुर हाल जिला सलूम्बर (राज.) की संवत् 2075—2078 की चालू जमाबन्दी के अनुसार खाता संख्या 268 आराजी नम्बर 401 रकबा 0.4200 हैक्टेयर स्थित है जिसके पुराने आराजी संख्या 01 थे, जिसे श्री शान्तिलाल पुत्र श्री शंकरलाल तेली ने मौजा ग्राम डाल पटवार मण्डल डाल तहसील सलूम्बर जिला उदयपुर को मिसल संख्या 65/75 दिनांक 01.03.1975 को उपखण्ड अधिकारी सलूम्बर द्वारा आवंटन की गई तथा बाद आवटंन श्री शान्तिलाल को कब्जा भी सिर्पुद किया गया एवं उसके बाद श्री शान्तिलाल को खातेदारी अधिकार भी दिये गये । श्री शान्तिलाल के बाद उक्त भूमि फर्दन फर्दन कई व्यक्तियो को विक्रय की गई एवं अन्त में उक्त भूमि प्रार्थीया ने खरीदी तब से प्रार्थीया उक्त भूमि पर बेरोकटोक लगातार अनवरत काबिज काश्त हैं। आराजी संख्या 01 पुराने नम्बर थे जिसके नये नम्बर सेटलमेन्ट के बाद 401, 402, 403 व 405 बने ।.प्रार्थना पत्र में अकिंत आराजी पूर्व में राजस्व ग्राम डाल में थी एवं बाद में डाल से टूट कर अलग राजस्व ग्राम डूंगावतफला बनने से उपरोक्त आराजी नये राजस्व ग्राम डूंगावतफला में हैं।

यह कि नये नम्बर के पुराने नम्बर जो उपरोक्त बने उसी अनुसार प्रार्थीया मौके पर काबिज हैं एवं उसी अनुरूप राजस्व रेकर्ड में भी दर्ज हैं। लेकिन नये आराजी संख्या 401, रकबा 0.4200 हेक्टयर हैं, जो राजस्व रेकर्ड में दर्ज होकर प्रार्थीया के नाम हैं एवं उक्त आराजी संख्या 401 रकबा 0.4200 पर प्रार्थीया मौके पर भी काबिज हैं, लेकिन उक्त आराजी संख्या 401 का क्षेत्रफल नक्शे में केवल 0.2278 हेक्टयर दर्ज हैं, जो कि राजस्व रेकर्ड की जमाबन्दी सम्वत 2075—2078 के मुकाबले 0.1922 हेक्टयर नक्शे में रकबा कम

सहायक कलक्टर सलू.
जिला सलूम्बर

दर्शा रखा है, जबकि मौके के अनुसार प्रार्थीया पूरे रकबे पर काबिज है। जिसे इन्द्राज दुरूस्ती के जरिये सुधार किया जाना आवश्यक है।

अतः निवेदन है कि प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 1 में अंकित आराजीयात का जो रकबा जमाबन्दी में 0.4200 हैक्टेयर बता रखा है, उसी अनुरुप नवीनतम कम्प्यूटरशीट के नक्शे में रकबा पूरा 0.4200 दर्शित किया जावे तथा उस आशय का भी अंकन राजस्व रेकार्ड के नक्शा शीट में दर्ज किया जावे।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर कि जाकर विपक्षी को जरिये सम्मन सूचित किया गया। विपक्षी पेरोकार सरकार तहसीलदार सलूम्बर हाजिर आये जिन्होने विस्तृत रिपोर्ट पेश कर अंकित किया कि मौजा डुगावतफला पटवार मण्डल डाल तहसील सलूम्बर जिला सलूम्बर के वर्तमान जमाबंदी के संवत् 2075–78 के खाता संख्या 268 से खातेदार श्रीमती देवली पत्नि भीमा मीणा सा जोधपुर उच्ची मंगरी के नाम आन 401 रकबा 0.42 है० किस्म हकत तृतीय लगान 1.22 रू. दर्ज रेकॉर्ड है। सेटलमेट पूर्व आ.नं. 1 मिसल संख्या 65/75 दिनाक 01.03.1975 को उपखण्ड महोदय द्वारा आराजी नम्बर 1 रकबा 1.10 हैक्टेयर आवंटन की गई। उक्त साबिक आराजी नम्बर से मिलान से नये आन 401, 402, 403, 405 बने जिसका रकबा क्रमश 0.42, 0.08, 0.30, 0.30 है. कुल किता 04 रकबा 1.10 है० मिसल बंदोबस्त के खाता संख्या 538 पर दर्ज था। उक्त आराजियात को श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय सलूम्बर के आदेश क्रमांक /डि()राज. /2002/1309 दिनाक 29.05.2002 की पालना में नामा. 293 से खातेदारी दर्ज हुआ। सेटलमेट से लेकर वर्तमान उपलब्ध दस्तावेज (नक्शे) का आकार वही दर्ज है जो सेटलमेट के बाद प्राप्त नक्शे में है अर्थात सेग्रीगेसन/पूर्व व सेग्रीगेसन बाद (वर्तमान) नक्शे आ.नं. 401 के आकार (रकबे) में कोई परिवर्तन न होकर दोनो नक्शों में समान है।

वर्तमान नक्शे के आ.न 401 का रकबा 0.42 है० राजस्व जमाबंदी सवत् 2075–78 में दर्ज है। उक्त आराजी के आकार का रकबा मापने पर 0.259 है० प्राप्त होता है जो कि जमाबंदी में दर्ज रकबे से 0.1608 है० कम है।

8. उक्त आराजी के चारों ओर का विवरण निम्न प्रकार है– पूर्व दिशा– आ.न. 400, पश्चिम दिशा आ.नं. 402 व बासवाडा– उदयपुर बाइपास, दक्षिण दिशा– आ.न. 5769/5638 आन 5770/5638, उत्तर दिशा– आ.न. 151. आ.न. 5763/5716,उत्तर पश्चिम आ.नं. 5751/172 स्थित है। उक्त आराजी के उत्तर में राजस्व नक्शे में नहर गुजर रही है वह मौके पर उपलब्ध न होकर दुसरी जगह से गुजर रही है। उक्त आ.नं. के पूर्व में आ.नं. 400 रकबा 0.10 किस्म मगरी बिलानाम दर्ज है। जिसका आकार मापने 0.12 है०, उक्त आ.नं. में से बायपास से इलाहाबाद बैंक हेतु जाने वाला कच्चा रास्ता बना हुआ है। जो आन. 400 में से 0.04 है० लगभग भूमि से गुजर रहा है।

प्रकरण में उभयपक्ष कि बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थीया की बहस अपने प्रार्थनापत्र अनुसार रही एवं पेरोकार सरकार तहसीलदार ने बहस मे अपने रिपोर्ट मे वर्णित तथ्यों का दोहराया।

बहस मनन की गई तथा पत्रावली एवं पत्रांवली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेखों का विस्तृत अवलोकन किया गया। वर्तमान राजस्व जमाबंदी संवत् 2075 से 2078 मे आराजी नम्बर 401 रकबा 0.4200 हैक्टेयर प्रार्थीया के नाम दर्ज अंकित है। तहसीलदार रिपोर्ट अनुसार मौके पर उक्त आराजी का रकबा मापने पर 0.259 हैक्टेयर प्राप्त हुआ है जो जमाबंदी मे दर्ज रकबे से 0.1608 हैक्टेयर कम होना जाहिर होता है। तहसीलदार से प्राप्त वर्तमान मौका रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थीया के हाल नक्शा शीट मे 0.1608 हैक्टेयर कम हुए रकबे मे से 0.06 हैक्टेयर तक की ही राहत दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

सहायक कलक्टर सल
जिला सलूम्बर

–::आदेश::–

अतः प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाकर प्रार्थीया के हाल आराजी नम्बर 401 के नक्शे मे कम हुआ रकबा बिलानाम आराजी नम्बर 400 रकबा 0.10 हैक्टेयर मे से 0.06 हैक्टेयर कम करते हुऐ 0.06 हैक्टेयर रकबा प्रार्थीया के हाल नक्शा शीट आराजी नम्बर 401 मे बढाया जाकर हाल नक्शा शीट मे शुद्धि कर अमलदरामद किये जाने का आदेश दिया जाता है। निर्णय की एक प्रति पालनार्थ तहसीलदार सलूम्बर को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 25/09/2024 को सरेइजलास सूनाया गया।
प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

सहायक कलेक्टर सलूम्बर, जिला-सलूम्बर (राज.)

(पर्वत सिंह चूण्डावत RAS)
उपखण्ड अधिकारी, सलूम्बर
जिला– सलूम्बर